[2018] 6 एस.सी. आर 522

ई. शिव कुमार

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 13817)

18 मई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

जाँचः सी.बी.आई. को अनुसंधान का हस्तांतरण-स्वास्थ्य मंत्रालय में तैनात याचिकाकर्ता कथित रूप से गुटका और पान मसाला के अवैध निर्माण और बिक्री में शामिल था और उसे एफ़. आई.आर. में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था-उक्त अपराध की अनुसंधान तमिलनाडु राज्य द्वारा गठित राज्य सतर्कता आयोग द्वारा की जा रही थी, जिसकी अध्यक्षता एक सतर्कता आयुक्त ने की थी-अनुसंधान को सी. बी.आई. को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश-याचिकाकर्ता ने चार आधारों पर रिट मंदमस आदेश को चुनौती दी-पहला, कि उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विचाराधीन अपराध की अनुसंधान मंदमस को सी. बी.आई.को स्थानांतरित करने की प्रार्थना पर पहले ही विचार किया जा चुका था और उसे अस्वीकार कर दिया गया था-दूसरा, याचिकाकर्ता को हालाँकि एफ़.आई.आर. में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था, उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और न ही जनहित में पक्षकार बनाया गया था । तीसरे, तमिल नाडु राज्य की विधान सभा के रिट आवेदन तमिल नाडु राज्य की विधान सभा के सदस्य द्वारा राजनीति निर्देश के कारण दायर की गई थी जिसमें विवादित निर्णय लिया गया । उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ को रिट याचिका पर निर्णय लेने का अवसर मिला था-समन्वय पीठ ने नोट किया था कि अपराध की अनुसंधान प्रगति पर थी और अनुसंधान को सी. बी.आई. को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी-इन पहलुओं पर विवादित फैसले में विधिवत ध्यान दिया गया था-इस प्रकार, यह उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के बाध्यकारी निर्णय या मिसाल की अवहेलना करने का मामला नहीं है-दूसरा, अपराध की निष्पक्ष और तटस्थ अनुसंधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में सवाल, पीड़ितों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए, उच्च न्यायालय ने भविष्यवाणी की कि इस तरह के अपराध की अनुसंधान सी. बी.आई. को सौंपना आवश्यक था-इस प्रकार देखा गया, अनुसंधान सी. बी.आई. को सौंपी गई-अनुसंधान सी. बी.आई. को सौंपने से, जो वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में अनिवार्य था, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था या उस मामले के लिए, सुनवाई नहीं की गई थी, कोई लाभ नहीं है-यह स्वयं विवादित फैसले को शून्य के रूप में लेबल करने का आधार नहीं हो सकता है-अंतिम विवाद के संबंध में, राजनीतिक विरोधी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सत्ता में सरकार के प्रहरी हैं-वे बड़े

पैमाने पर जनता की शिकायतों को उजागर करने के लिए मुखपत्र हैं, अगर वास्तव में और निष्पक्ष रूप से पेश किया जाता है-उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका को राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप पर खारिज नहीं किया जा सकता है यदि यह अन्यथा वास्तविक है और आपराधिक न्याय प्रणाली में न्याय के संवितरण पर पूर्वाग्रह की युक्तियुक्त आशंका को जन्म देती है- तदनुसार विचारार्थ प्रस्तुत चुनौती का आधार सार रहित है।

जाँचः सुनवाई का अधिकार-एक व्यक्ति जिसे एफ.आई.आर. में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है, जिसे अन्यथा अनुसंधान के चरण में सुने जाने या सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि अनुसंधान को सी. बी.आई. को स्थानांतरित करने के लिए जारी किया गया निर्देश अमान्य है।

सुब्रत चट्टोराज बनाम भारत संघ और अन्य। (2014) 8 एससीसी 768:[2014] 6 एससीआर 783; धरम पाल बनाम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2016) 4 एससीसी 160:[2016] 1 एस. सी. आर. 194; के. अनबाझगन बनाम अधीक्षक पुलिस और अन्य । (2004) 3 एससीसी 767 : [2003] 5 पूरक । एस. सी. आर. 610-पर निर्भर ।

डी. वेंकटसुब्रमण्यम और अन्य बनाम एम.के. मोहन कृष्णमाचारी और अन्य(2009) 10 एससीसी 488:[2009] 14 एससीआर 441-प्रतिष्ठित ।

पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य (2011) 14 एससीसी 770:[2011] 15 एससीआर 540; दीनूभाई बोघाभाई सोलंकी बनाम गुजरात राज्य और अन्य। **(2014)** 4 एससीसी 626 (2014) 3 एससीआर 932; नरेंदर जी. गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **(2009) 6** एससीसी **65: [2009] 8** एस.सी.आर**. 1004-**संदर्भित ।

<u>संदर्भित कानून</u>

[2011] 15 एससीआर **540**	संदर्भित किया गया है	पैरा **3**
[2014] 3 एस.सी.आर**. 932**	संदर्भित किया गया है	पैरा **8**
[2009] 8 एससीआर **1004**	संदर्भित किया गया है	पैरा **8**
[2009] 14 एससीआर **441**	भिन्न	पैरा **9**
[2014] 6 एससीआर **783**	उस पर भरोसा करें	पैरा **10**
[2016] 1 एससीआर **194**	उस पर भरोसा करें	पैरा **11**
[2003] 5 पूरक।एस.सी.आर**. 610**	पर निर्भर	पैरा **13**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 13817 की 2018 ।

डब्ल्यू.पी.सं.19335 के 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.04.2018 आदेश से ।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मिशा रोहतगी, एम. थंगथुराई, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए । पी.विल्सन, वरिष्ठ अधिवक्ता, आर.नेदुमारन, प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता ।

न्यायालय का आदेश द्वारा पारित किया गया था

ए. एम.खानविलकर, जे.: 1. यह विशेष अनुमति याचिका 2017 की रिट याचिका में मद्रास में उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल, 2018 के फैसले और आदेश पर आपत्ति उठाती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने तम्बाकू और/या निकोटिन युक्त गुटका और पान मसाला के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित आपराधिक मामले की अनुसंधान को केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ("सीबीआई") को स्थानांतरित करने के लिए एक आदेश जारी किया है ।

2. याचिकाकर्ता को अनुसंधान के तहत अपराध में कथित संलिप्तता के कारण प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।याचिकाकर्ता को संबंधित समय पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था।उक्त अपराध की जाँच तमिलनाडु राज्य द्वारा गठित राज्य सतर्कता आयोग द्वारा की जा रही थी, जिसकी अध्यक्षता एक सतर्कता आयुक्त कर रहे थे।विवादित निर्णय के लिए चुनौती की गंभीरता चार मामलों पर हैः

(i) पहला, कि विचाराधीन अपराध की अनुसंधान को सी. बी.आई. को हस्तांतरित करने की प्रार्थना पर उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिका सं. 1846 की 2017 में 27 जनवरी, 2017 के फैसले के माध्यम से और फिर रिट याचिका सं. 12482 की 2017 में 28 जुलाई, 2017 के फैसले के माध्यम से पहले

ही विचार किया जा चुका है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है । विवादित फैसले में इन फैसलों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है ।

(ii) दूसरा, याचिकाकर्ता को यद्यपि एफ. आई.आर. में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था, लेकिन उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और न ही उस जनहित याचिका में पक्षकार बनाया गया था जिसमें विवादित निर्णय पारित किया गया है।नतीजतन, अपील के तहत निर्णय एक शून्य है और केवल इसी आधार पर अमान्य किया जा सकता है ।

(iii) तीसरा, उच्च न्यायालय द्वारा अनुसंधान को सी. बी.आई. को स्थानांतरित करने के विवादित फैसले में कोई विशेष परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने सतर्कता आयोग द्वारा की गई अनुसंधान के संबंध में स्थिति रिपोर्ट की प्रभावशीलता की अनुसंधान करने का भी कष्ट नहीं किया है । दूसरे शब्दों में, सी. बी.आई. द्वारा विचाराधीन अपराध के अनुसंधान का निर्देश देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था ।]

(iv) अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि जनहित याचिका के रूप में दायर रिट याचिका राजनीति से प्रेरित थी जो तमिलनाडु राज्य में विधानसभा के एक सदस्य द्वारा दायर की गई थी ।

3. चुनौती के उपर्युक्त आधारों को मजबूत करने के लिए, राज्य के मामले में पंजाब बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य [1] में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है|

4. इस विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करने का प्रत्यर्थी सं. 14 (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा विरोध किया जाता है।प्रत्यर्थी की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और उच्च पदस्थ अधिकारियों से जुड़े अपराध की निष्पक्ष अनुसंधान की अनिवार्यता और तमिलनाडु राज्य से परे और विभिन्न राज्यों में अपराध करने की साजिश के बारे में संतुष्ट होने के

[1] (2011) 14 एस.सी.सी. 770

कारण, उसने अनुसंधान को सी. बी.आई. को स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य आदेश जारी करना उचित समझा। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई आपत्तियों में कोई औचित्य नहीं है ।

5. हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. विल्सन को सुना है ।

6. विवादित फैसले पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम प्रत्यर्थी (रिट याचिकाकर्ता) से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय ने सभी मुद्दों पर पूरी तरह से विचार किया है और विचाराधीन अपराध की निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होकर, अनुसंधान को सी. बी.आई. को स्थानांतरित करने के लिए एक अनिवार्य रिट जारी की है। जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए पहले बिंदु का संबंध है, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत था कि उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के पास रिट याचिका सं. 1846 की 2017 और रिट याचिका सं. 12482 की 2017 पर निर्णय लेने का अवसर था, जैसा कि विवादित निर्णय के पैराग्राफ 107 से 122 में चर्चा से देखा जा सकता है । रिट याचिका सं. 1846 की 2017 के संबंध में, जो पेशे से एक वकील पी. विल्सन द्वारा दायर की गई थी।वास्तव में, यह भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच/जांच शुरू करने, जांच करने, मुकदमा चलाने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में सच्चाई सामने लाने के लिए जनहित याचिका के रूप में दायर किया गया था, जैसा कि चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त ने 22 दिसंबर, 2016 को प्रधान सचिव, गृह विभाग, तमिलनाडु सरकार को संबोधित अपने पत्र में उल्लेख किया था।हालाँकि, न्यायालय ने पाया कि उक्त याचिका में विशिष्ट आधार और सामग्री की कमी है और इससे भी अधिक, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर संदेह किया और इस प्रकार 27 जनवरी, 2017 के फैसले के माध्यम से याचिका को संक्षेप में खारिज कर दिया।पेशे से एक वकील के. कथिरेसन द्वारा दायर 2017 की रिट याचिका के संबंध में, जनहित याचिका के रूप में, दावा की गई राहत मुख्य रूप से 30 जून, 2017 के एक आदेश को रद्द करने के लिए थी, जिसमें

प्रत्यर्थी संख्या 5 की सेवा का विस्तार दिया गया था और इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य में प्रतिबंधित पदार्थों, अर्थात्, गुटका और पान मसाला की बिक्री के संबंध में पुलिस आयुक्त, चेन्नई द्वारा भेजे गए संचार के संबंध में एक मामला दर्ज करने का निर्देश देना और उच्च न्यायालय की सीधी निगरानी के तहत मामले की अनुसंधान के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन करना था।इस प्रकार, उक्त रिट याचिका में प्राथमिक चिंता पुलिस महानिदेशक के रूप में उत्तरदाता संख्या 5 की नियुक्ति के बारे में थी क्योंकि उनका नाम आयकर विभाग द्वारा एक गुट का निर्माण संस्था के भागीदारों से जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों में संदर्भित किया गया था।मामले के विश्लेषण में, समन्वय पीठ ने 28 जुलाई, 2017 के अपने फैसले के माध्यम से उक्त रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध को नोट किया कि वह सीबीआई को एक विशेष अनुसंधान एजेंसी का गठन करके अनुसंधान करने का निर्देश दे । अदालत ने उक्त फैसले के पैराग्राफ 25ए से 25डी में सीबीआई को अनुसंधान सौंपने के सवाल का विज्ञापन किया।हालांकि, सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशक की केस डायरी के अवलोकन के बाद, अदालत ने राय दी कि अपराध की अनुसंधान जारी है। इसलिए, इसने केवल उक्त निर्णय के पैराग्राफ 30 में सतर्कता आयुक्त द्वारा अनुसंधान को मजबूत करने के निर्देश जारी किए।उस संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि जाँच/जाँच को सी. बी.आई. को स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं था। यदि उचित परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए तो यह पिछले निर्णयों के विश्लेषण का जोर है।पैराग्राफ 107 के बाद के विवादित फैसले में इन पहलुओं पर विधिवत ध्यान दिया गया है, जिसमें न्यायिक निर्णय के सिद्धांत पर कानूनी स्थिति भी शामिल है और अंत में निम्नलिखित शब्दों में विवादित फैसले के पैराग्राफ 141 से 144 में जवाब दिया गया हैः

"141. जैसा कि के.शशिधरन और जी.आर.स्वामीनाथन, जे.के. कथिरेसन, उपरोक्त में देखा गया है, सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाले सतर्कता आयोग के पास भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अवैध संतुष्टि और उससे संबंधित मामलों को स्वीकार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की व्यापक शक्तियां हैं।राज्य सतर्कता आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर

सकता है।राज्य सतर्कता आयोग आयकर (जांच) के प्रधान निदेशक द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव को सौंपी गई आपत्तिजनक सामग्री वाली फाइल के खो जाने की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक विस्तृत जांच भी कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि दोषियों पर मामला दर्ज किया जाए और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए।हालांकि, सतर्कता विभाग द्वारा अनुसंधान सतर्कता के दृष्टिकोण से की जाती है।इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का पता लगाना है।सतर्कता आयोग की जांच करने की शक्ति का विस्तार, गुटका माफिया की कार्यप्रणाली, अन्य राज्यों से आयात के तरीके और तरीके, गुटका और तंबाकू के अन्य चबाने योग्य रूपों के वितरण और बिक्री और आपूर्ति के स्रोतों का पता लगाने तक नहीं होगा।सतर्कता विभाग द्वारा की गई पूछताछ से गुप्त भंडारण और विनिर्माण इकाइयों का पता नहीं चलेगा।न ही ऐसी अनुसंधान अवैध आयात, आपूर्ति और बिक्री की घटनाओं का पता लगाने में सक्षम होगी या उन लोगों को पकड़ने में सक्षम होगी जो वास्तव में तंबाकू और निकोटीन युक्त प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों जैसे गुटका का निर्माण, आपूर्ति, आयात, बिक्री या अन्यथा सौदा करते हैं ।

142. सी. बी.आई. जैसी केंद्रीकृत एजेंसी द्वारा अनुसंधान अधिक व्यापक होगी और इसमें प्रतिबंधित चबाने योग्य तंबाकू वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, आपूर्ति, वितरण और बिक्री के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें इस तरह के अवैध आयात, निर्माण, आपूर्ति, वितरण और बिक्री में शामिल सभी लोगों का पता लगाना शामिल है, साथ ही इस संबंध में लोक सेवकों और/या सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और संलिप्तता का पता लगाना भी शामिल है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, सी. बी.आई. अनुसंधानऔर राज्य तंत्र द्वारा अनुसंधान के बीच कोई टकराव नहीं है।सी. बी.आई. और सतर्कता विभाग के सहयोग से अनुसंधान अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है ।

143. भूमिगत गुटका व्यवसाय समाज के खिलाफ एक अपराध है जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है । इसलिए, हम सी. बी.आई. को अवैध निर्माण, आयात, आपूर्ति, वितरण और तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रतिबंधित

चबाने योग्य तंबाकू के अन्य रूपों की बिक्री के अपराध के सभी पहलुओं की जांच करने का निर्देश देना उचित समझते हैं, जिसमें अपराध को बढ़ावा देने या अपराध पर अंकुश लगाने के प्रयासों में हस्तक्षेप करके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपरोक्त अपराध में शामिल लोगों का पता लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है ।

144. यह आदेश, हमारे विचार में, न केवल आम लोगों और विशेष रूप से युवाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले गुटका और चबाने योग्य तंबाकू की गुप्त बिक्री के खतरे को रोकने और दोषियों को दंडित करने के लिए अनिवार्य है, बल्कि अनुसंधान की निष्पक्षता में लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए भी है।हम राज्य के लिए सी. बी.आई. को अनुसंधान सौंपने को अपनी अनुसंधान प्रणाली की दक्षता या प्रभावकारिता के अपमान के रूप में देखने का कोई कारण नहीं देखते हैं और हम यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि इस निर्देश को किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी या राज्य सरकार के किसी विशिष्ट अधिकारी की मिलीभगत के इस न्यायालय के किसी निश्चित निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए" ।

7. वर्तमान मामले के तथ्यों में उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण, हमारी राय में, एक संभावित दृष्टिकोण होने के नाते, विचाराधीन आधार योग्यता से रहित है।यह देखने के लिए पर्याप्त है कि यह उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के बाध्यकारी निर्णय या पूर्ववर्ती की अवहेलना का मामला नहीं है । हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि विवादित फैसले में समन्वय पीठ के फैसले को अलग किया गया है।इसके अलावा, अपराध की निष्पक्ष और तटस्थ जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में सवाल, जिसका जाल तमिलनाडु राज्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य राज्यों से परे था और राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों को शामिल करने के अलावा विदेशों में भी हो सकता है, अब सीधे जवाब दिया गया है।पीड़ितों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए, उच्च न्यायालय ने भविष्यवाणी की कि इस तरह के अपराध की अनुसंधान सी. बी.आई. को सौंपना आवश्यक था। इस प्रकार, अनुसंधान सी. बी.आई. को सौंपने के लिए, विवादित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष में कोई कमी नहीं है ।

8. याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए दूसरे आधार के संबंध में, हम पाते हैं कि इस पहलू पर भी विवादित निर्णय में विधिवत विचार किया गया है।विवादित फैसले के पैराग्राफ 129 में, दीनूभाई बोघाभाई सोलंकी बनाम गुजरात राज्य और अन्य[2] पर निर्भरता को रखा गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निष्पक्ष अनुसंधान की मांग करने वाली एक रिट याचिका में, आरोपी निश्चित रूप से सुनवाई के अवसर का

[2] (2014) 4 एससीसी 626

हकदार नहीं था।नरेंदर के मामले में जी. गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य[3] पर भी विश्वास किया गया है। विशेष रूप से, अनुच्छेद रिपोर्ट किए गए निर्णय के 11 में न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि अभियुक्त को अनुसंधान के चरण में सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है।सी. बी.आई. को अनुसंधान सौंपने से, जो कि उपरोक्त, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में अनिवार्य था, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका में या उस मामले के लिए एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था, हमारी राय में, कोई लाभ नहीं होगा।यह अपने आप में विवादित फैसले को अमान्य करार देने का आधार नहीं हो सकता है ।

9. पंजाब राज्य (ऊपर) में अनुच्छेद 73 में की गई टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, जो बदले में डी. वेंकटसुब्रमण्यम और अन्य में प्रदर्शनी बनाम एम.के. मोहन कृष्णमाचारी और अन्य[4], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी पक्षकार की पीठ के पीछे दिया गया आदेश अमान्य है और केवल इसी आधार पर अलग रखा जा सकता है।ऐसा हो सकता है, यदि पक्ष के पीछे से पारित किए जाने वाले आदेश का उस पक्ष के लिए कुछ नागरिक परिणाम होना था।लेकिन एक व्यक्ति जिसे एफ. आई.आर. में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसे अन्यथा अनुसंधान के चरण में सुने जाने या निश्चित रूप से सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि निर्देश जी. अनुसंधान को सी. बी.आई. को स्थानांतरित करने के लिए जारी किया जाना अमान्य है।यह आधार, हमारी राय में, हताशा का तर्क है और अस्वीकार किए जाने योग्य है ।

10. याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया तीसरा तर्क, कि न तो विशेष कारण दर्ज किए गए हैं और न ही सतर्कता आयोग द्वारा पहले से की गई अनुसंधान की स्थिति रिपोर्ट पर विचार किया गया है, भी हमारी सराहना नहीं है।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में मामले के सभी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया है जैसा कि पैराग्राफ 84 से 87, 91 से 97, 100 से 107 तक और फिर से पैराग्राफ 141-144 में देखा जा सकता है जो अब तक निकाले गए निर्णयहैं।हमारी राय में, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार करने के बाद अनुसंधान को न्यायसंगत रूप से सी. बी.आई. को स्थानांतरित कर दिया है, जो दृष्टिकोण सुब्रत चट्टोराज बनाम भारत संघ और अन्य [5]मामले में निर्णय सहित विवादित निर्णय में बताए गए निर्णयों में स्पष्ट कानूनी स्थिति के अनुरूप है जो भविष्यवाणी करता है कि जाँच का हस्तांतरण सी. बी.आई. को राज्य पुलिस द्वारा की गई अनुसंधान की अपर्याप्तता पर निर्भर नहीं करता है।हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और अनुसंधान किए जा रहे अपराध की प्रकृति की सीबीआई अनुसंधान की आवश्यकता है ।

---

[3] (2009) 6 एससीसी 65

[4] (2009) 10 एससीसी 488

[5] (2014) 8 एससीसी 768

11. धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[6] के मामले में इस न्यायालय ने संज्ञेय अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निष्पक्ष और तठस्थ अनुसंधान सुनिश्चित करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया है क्योंकि प्राथमिक बल बड़े पैमाने पर जनता और अनुसंधान एजेंसी में विश्वास पैदा करने पर है।इस रिपोर्ट मेकिए गए निर्णय के पैराग्राफ 24 और 25 में दिया गया उक्ति काफी शिक्षाप्रद है जो इस प्रकार हैः

"24. यहां यह ध्यान दिया जाए कि संवैधानिक अदालतें किसी अन्य अनुसंधान एजेंसी द्वारा आगे की जाँच या अनुसंधान के लिए निर्देश दे सकती हैं। उद्देश्य यह है कि निष्पक्ष अनुसंधान और निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए।निष्पक्ष सुनवाई तब तक काफी कठिन हो सकती है जब तक कि निष्पक्ष अनुसंधान न हो । हम इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि किसी अन्य एजेंसी द्वारा आगे की अनुसंधान के लिए निर्देश बहुत कम मामले में जारी किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में दर्शाए गए तथ्य हमें उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर करते हैं । हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि न्याय का उद्देश्य यह आदेश देता है कि पीड़ित, मृतक के पति के कारण का जवाब दिया जाना चाहिए ताकि न्याय की विफलता से बचा जा सके । इसलिए, इस मामले में मामले का चरण निर्णय कारक नहीं हो सकता है।

25. हम आगे स्पष्ट कर सकते हैं । नए सिरे से या फिर से अनुसंधान का आदेश देने की शक्ति संवैधानिक अदालतों में निहित होने के कारण, मुकदमे की शुरुआत और कुछ गवाहों की अनुसंधान उक्त संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक पूर्ण बाधा नहीं हो सकती है जो एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए है।यह कभी नहीं भुलाया जा सकता है कि जैसे महान महासागर की केवल एक ही परीक्षा होती है, नमक की परीक्षा, वैसे ही न्याय का भी एक ही स्वाद होता है, बिना किसी भेदभाव के लोगों के संकट का जवाब देने का स्वाद।हम जल्दबाजी में यह भी कह सकते हैं कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि किसी गरीब व्यक्ति द्वारा कही गई सच्चाई को शायद ही कभी सुना जाता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विनाश की संभावना है।बिना किसी कारण के यह नहीं कहा गया है कि सूरज उगता है और सूरज डूबता है, प्रकाश और अंधेरा आता है और वसंत आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि समय भी खेल है लेकिन न्याय होने पर सच्चाई बनी रहती है और चमकती है।सत्य को बनाए रखना एक अदालत का बाध्यकारी कर्तव्य है और सत्य का अर्थ है छल का अभाव, धोखाधड़ी का अभाव और आपराधिक अनुसंधान में एक वास्तविक और निष्पक्ष अनुसंधान , न कि एक ऐसी अनुसंधान जो खुद को एक नकली के रूप में प्रकट करती है।यह स्वीकार्य नहीं है।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निष्पक्ष और सच्ची अनुसंधान अनिवार्य है।यदि अनुसंधान में संकेत या अवतलता है, तो क्या अनुसंधान में "विश्वास"को सुसमाचार सत्य माना जा सकता है?क्या इसमें वास्तविक जाँच की पवित्रता या शुद्धता होगी?यदि अनुसंधान के संबंध में कोई गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, तो क्या एक संवैधानिक अदालत को अपने हाथ बंद

---

[6] (2016) 4 एससीसी 160 ए

कर इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए कि मुकदमा शुरू हो गया है, मामला इससे परे है?यह अभियोजन पक्ष का "दौरा करने का बल" है और अगर हम खुद को ऐसा कहने की अनुमति देते हैं तो यह "उचित निर्णय"बन गया है, लेकिन हमारे विचार में संवैधानिक न्यायालयों के प्रभुत्व को अच्छे या विवादास्पद तरीके से दबाया [7]नहीं जा सकता है।बेशक, संदेह का किसी प्रकार का आधार होना चाहिए, न कि किसी की बेतुकी कल्पना का अनुमान।कोई सोच सकता है कि एक निष्पक्ष अनुसंधान एक नासिका होगी लेकिन ऐसा नहीं करना पॉसम खेलने जैसा होगा।जैसा कि पहले कहा गया है, तथ्य स्वयं स्पष्ट हैं और दुखी नायक, निचले स्तर से संबंधित व्यक्ति है।उसे यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि वह "कानून के समक्ष अनाथ है´।

12. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष से भटकने का इरादा नहीं रखते हैं कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, यह उचित है कि विचाराधीन अपराध की अनुसंधान सी. बी.आई. को सौंपी जानी चाहिए ।

13. इस अंतिम तर्क पर लौटते हुए कि उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी के कहने पर एक जनहित याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए था, जो तमिलनाडु राज्य में विधानसभा का सदस्य है या उसने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने में सक्रिय रूप से भाग लिया था, का भी विवादित फैसले में जवाब दिया गया है।न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 14 के कहने पर जनहित याचिका पर विचार करते हुए इस उक्ति पर भरोसा किया है के. अनबाझगन बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य जिसमें यह यह देखा गया है कि राजनीतिक विरोधी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सत्ता में सरकार के प्रहरी होते हैं।यदि वास्तव में और निष्पक्ष रूप से पेश किया जाता है, तो वे बड़े पैमाने पर जनता की शिकायतों को उजागर करने के लिए मुखपत्र हैं।इस निर्णय का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने विवादित निर्णय के पैराग्राफ 70 में उल्लेख किया कि ऐसे व्यक्तियों (जैसे प्रत्यर्थी सं. 14) द्वारा दायर याचिका को राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप पर खारिज नहीं किया जा सकता है, यदि अन्यथा, यह वास्तविक है और आपराधिक न्याय प्रणाली के वितरण में पक्षपात की संभावना की उचित आशंका पैदा करता है।तदनुसार, हमारी राय में, विचाराधीन चुनौती आधार रहित है ।

14. विदा लेते समय, हम उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले के अनुच्छेद 144 में की गई टिप्पणियों को यह स्पष्ट करने के लिए दोहरा सकते हैं कि अपराध की अनुसंधान का हस्तांतरण सी. बी.आई. को राज्य सतर्कता आयोग द्वारा की गई अनुसंधान की दक्षता या प्रभावकारिता पर कोई टिप्पणी है। हम इस स्थिति को दोहराते हैं ।

15. नतीजतन, यह विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल याचिका खारिज कर दी गई।

---

[7] (2004) 3 एससीसी 767